राज्य द्वारा एडीपीओ।

अभियुक्त सहित अधिवक्ता श्री एम०एस० यादव।

फरियादी सावित्री प्रीसिटिंग नोटिस के पालन में स्वयं उप0।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में आयोजित नेशनल मेगा लोक अदालत की खण्डपीठ कमांक 21 दिं0 12.11.16 में उभयपक्ष ने उपस्थित होकर व्यक्त किया कि वे पित पत्नी हैं उनका घरेलू बातों को लेकर विवाद हो गया है। अब उनके मध्य स्वेच्छा पूर्वक राजीनामा हो गया है, वे साथ साथ रह रहे हैं। अतः प्रकरण समाप्त किए जाने का निवेदन किया।

फरियादी की ओर से एक राजीनामा आवेदन पत्र, अतर्गत धारा 320 दिन्य विषय राजीनामा हेतु अनुमित आवेदन पत्र अतर्गत धारा 320—2 फरियादी के हस्ताक्षर, मय लोक अदालत डॉकेट हस्ताक्षर कर प्रस्तुत किया गया। फरियादी एवं अभियुक्त की पहचान अधिवक्ता श्री एम०एस० यादव ने की।

उभयपक्षों को सुना प्रकरण का अवलोकन किया।

फरियादी ने अभियुक्त से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोभ-लालचे के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है।

अभियुक्त पर भादवि० की धारा 294, 323 के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। उक्त धारा का आरोप न्यायालय की अनुमित से फरियादी द्वारा शमनीय है। पीठ सदस्यगण द्वारा प्रकरण में राजीनामा स्वीकार किए जाने की अनुशंसा की

AT A ST

of head free grown

John John /

गयी। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उददेश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा अनुमित आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है अभियुक्त को धारा 294, 323 भा०द०वि० के अपराध आरोप से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्त की दोषमुक्ति होगा अभियुक्त के प्रतिभूति व बधपत्र भारमुक्त किए जाते है।

प्रकरण में जब्त संपत्ति मूल्यहीन होने से अपील अवधि बाद नष्ट की जावे। प्रकरण का परिणाम सुसंगत पंजी में दर्जकर अभिलेखागार भेजा जावे।

सदस्य

Merry & Herry

पीटासीन अधिकारी